न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 19/19 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00063

उनवान

1. नत्थो पत्नि वृन्दावन पुत्री सांवलिया जाति लोधा निवासी ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर हाल आवद भूरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. कोमल सिंह
2. सीयाराम
3. फूल सिंह

} पुत्रगण श्री जनवेद जाति लोधा निवासीगण ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा।

4. पीतम सिंह
5. हेम सिंह
6. महेन्द्र सिंह

} पुत्रगण श्री मवासिया जाति लोधा निवासी ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा।

7. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.05.2019 प्रकरण संख्या 50/05 शीर्षक कोमल सिंह बनाम चूरन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री अश्वनि जैन व निशान्त भार्गव अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–23.04.2024

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 02.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम मरैना तथा इन्द्रावली तहसील राजाखेडा के वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं एवं उपरोक्त आराजी में मु0 सामलिया 1/3 भाग का एवं खेवट संख्या 465 की आरजी में तन्हा खातेदार काश्तकार था। सामलिया एक वृद्ध व्यक्ति था एवं उसके कोई संतान नहीं थी। वादीगण ही उनकी सेवा सुश्रषा करते थे। जिससे खुश होकर सामलिया ने एक वसीयत वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दी। अतः वाद प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर सामलिया की आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। रैस्पो0 की वसीयत पूर्ण रूपेण फर्जी है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। विवादित आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है एवं नियमानुसार पुश्तैनी सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है। अपीलाण्ट के पक्ष में विवादित आराजी का विरासत का दाखिला भी खुल गया था। जिसकी अपील रैस्पो0 द्वारा की गयी, जो खारिज हो चुकी है। तहसीलदार ने वसीयत पर रैस्पो0 को सुनकर, अपीलाण्ट का विरासत का दाखिला खोला गया है। वसीयत भी मृत्यु वाली दिनांक को हुयी है। वसीयत में कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं है एवं ना ही रैस्पो0 ने वसीयत को किसी गवाह आदि से अधीनस्थ न्यायालय में उसे प्रमाणित कराया है। वसीयत के स्टाम्प पर भी सामलिया के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं हैं एवं ना ही स्टाम्प पर यह अंकित है कि स्टाम्प किस उद्देश्य से लिया जा रहा है। स्वयं वसीयत ग्रहता अपने बयानो में जमाबन्दी लाना एवं खसरा नम्बर लिखना स्वीकार करता है। वसीयत नोटेरी भी नहीं है। क्योंकि वसीयत सामलिया के मरने के बाद फर्जी करायी गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर, अपील अपीलाण्ट पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2022(1) पेज 273, 2021(2) पेज 1201, 2019(1) पेज 184, 2021(2) पेज 1526, डीएनजे 2023(4) पेज 1652, 2021(2) पेज 369, 2017 पेज 101, 2023(4) पेज 1319, 2018(3) पेज 1196, 2023(2) पेज 689, आरएलडब्ल्यू 2018(3) पेज 2543, 2000(3) पेज 1539, आरएलआर 994(1) पेज 202, एआईआर 2010 पेज 1014 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने अपनी बहस में यह नहीं बताया कि अपीलाधीन आदेश किस प्रकार गलत है। केवल वसीयत को फर्जी बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने एक दावा नत्थो बना मूलो प्रस्तुत किया गया था। जिसे अपीलाण्ट ने अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करा लिया। अर्थात अपीलाण्ट वसीयत को सही होना मानते हैं। दिनांक 19.04.2010 को एक पक्षीय कार्यवाही से पूर्व बाद में कई मौके मिले हैं परन्तु अपीलाण्ट ने ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की एवं ना ही कोई जवाब देही की गयी। यदि वसीयत फर्जी हो तो अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अपीलाण्ट को चाहिये था कि वह अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहते। वसीयत सन् 1996 की है जबकि सन् 2005 तक पुत्री पैतृक सम्पत्ति में कोई हक नहीं रखती हैं। वसीयत सादा कागज पर भी हो, तो भी मान्य है। वसीयत में खसरा नहीं लिखा होना कोई महत्व नहीं रखता है। अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम खारिज हुआ है एवं रैस्पो0 का दावा डिक्री हुआ है। अतः अपीलाण्ट को दो अपीले की जानी चाहिये थी। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2022–23 पेज 286, 2020(1) पेज 198, 2019(2) पेज 531, 2021(2) पेज 997, सुप्रीम

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
अपील प्राधिकारी

2022 पेज 324, डीएनजे 2017(3) पेज 1054, 2019(1) पेज 47, आरबीजे (5) पेज 1988, आरआरडी 2002 पेज 280, एआईआर 2003 पेज 1925, डीएनजे 2024(1) पेज 18, 2002 पेज 232 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। यह सही है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपने अभिभाषक के सम्पर्क में नहीं रही। अपीलाण्ट के अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं करने एवं स्वयं के भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला है। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 का दावा वसीयत के आधार पर डिक्री किया है। विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट के पक्ष में विरासत का दाखिला खुला है। जिसकी अपील रैस्पो0 द्वारा की गयी, जो खारिज हो गयी। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने अपनी वसीयत को गवाह/बयानो से सिद्ध नहीं कराया है। हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि कथित वसीयत में विवादित आराजी बाबत् खसरा नम्बरो का कोई उल्लेख नहीं है एवं विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी थी। जिसकी नियमानुसार वसीयत नहीं हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं वसीयत ग्रहता अपने बयानो में यह स्वीकार करते हैं कि मैं जमाबन्दी लेने गया एवं खसरा नम्बर भी वसीयत में लिखे गये थे एवं वसीयत के समय मैं हाजिर था। परन्तु हस्ताक्षर नहीं हुये। इस प्रकार वसीयत के संबंध में कथन/तथ्य प्रथम दृष्टया विरोधाभाषी नजर आते हैं। चूंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य का मौका नहीं मिला है। अतः हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को अपने पक्ष में साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2019 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनाए की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.06.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी मय पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर